संविधान सभा - गठन, संविधान निर्माण एवं वाद - विवाद
(constituent assembly formation, constitution making Process and debate)

राजनीति विज्ञान के मान्य सूत्रों में एक सूत्र यह है कि समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता, इसके साथ जुड़ा एक अन्य सूत्र यह है कि राज्य अपने संविधान के बिना नहीं हो सकता। यद्यपि संविधान (constitution) शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों जैसे शरीर की रचना, श्रमिक संघ का विधान, किसी राजनीतिक दल का विधान आदि)

प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए। तथा यह कि शासन का गठन व संचालन संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए।
तथा यह कि शासन का गठन व संचालन संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

संविधान का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता
(Meaning and necessity of the constitution)

सरल शब्दों में, राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है, जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है और वह कार्य करती है।

संविधान सभा का गठन
(Formation of constituent assembly)

संविधान सभा द्वारा करीब तीन वर्षों में निर्मित भारत का संविधान बीसवीं सदी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है।
महान संस्थापकों ने न जाने कितने राजनीतिक अवरोधों को पार कर इस कार्य का शुभारम्भ 9 दिसम्बर 1946 को किया।

संविधान सभा में वाद - विवाद
(Debate in the constituent assembly)

संविधान सभा में वाद - विवाद में अभिप्राय संविधान का मसौदा तैयार करते समय हुई बहसों एवं चर्चाओं से है। इस वाद - विवाद को 12 खण्डों में प्रकाशित किया गया है। सर्वप्रथम 1950 में प्रकाशित करने के लिए 1995 में लोकसभा सचिवालय ने इनका पुनः मुद्रण किया।

प्रस्तावना पर वाद - विवाद (Debate on the Preamble)

प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य - प्रस्ताव के आधार पर तैयार किया गया 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तावना को लेकर चर्चा आरम्भ हुई।

डॉ० अम्बेडकर ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत का एक समाजवादी राष्ट्र इसलिए नहीं बन सकता है। क्योंकि किसी भी देश की सामाजिक व आर्थिक नीतियाँ समय व परिस्थितियां के अनुसार नागरिक द्वारा निर्धारित की जाती है।

अधिकारों के निर्धारण पर वाद - विवाद -

अधिकारों के निर्धारण से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दा यह था कि नागरिक अधिकार किस प्रकार से निर्धारित किए जाएं।